

बिहार सरकार
कला एवं संस्कृति विभाग

पटना, दिनांक/2026

ज्ञाप संख्या-2/वि.60-145/2023/
सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

विषय :- सांस्कृतिक कैलेंडर 2025 के अनुसार अररिया जिला अंतर्गत रेणु महोत्सव के आयोजन पर हुए व्यय के निमित्त ₹ 4,79,400/- (चार लाख उनासी हजार चार सौ रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

- 2- राशि का विकलन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-08 के अधीन बजट शीर्ष "2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-0101-कला और संस्कृति का संवर्द्धन विपत्र कोड-08-2205001020101 के अंतर्गत विषय शीर्ष 2002 कान्फ्रेंस, कार्यशाला सेमिनार में होगा।
- 3- इस राशि की निकासी जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा जिला कोषागार, अररिया से की जायेगी। साथ ही राशि का व्यय वित्त संशोधन नियमावली 2024, बिहार खरीद अधिमानता नीति-2024, बिहार लोक निर्माण संहिता तथा विभागीय निदेशों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।
- 4- जिला पदाधिकारी द्वारा विषयांकित कार्यक्रमों के आयोजन पर हुए व्ययित राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
- 5- उक्त राशि का कार्यान्वयन प्रतिवेदन एवं व्यय विवरणी, विडियो, फोटोग्राफ आदि एक माह के अंदर विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 6- यह स्वीकृति वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888, दिनांक-03.12.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में दी गयी है।
- 7- उक्त प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0-2/वि.60-145/2023 के पृष्ठ-30/टि0, दिनांक-10.07.2026 एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ-29/टि0, दिनांक-03.07.2026 पर प्राप्त है।
- 8- वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि (2) दिनांक-05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार से प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- 9- एतद द्वारा पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश सं0-345 दिनांक-05.08.2025 के संलग्न विवरणी के क्रमांक-01 को रद्द किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(रुबी)

निदेशक, सांस्कृतिक कार्य।

ज्ञापांक 243/

पटना, दिनांक 17/07/2026

प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, सांस्कृतिक कार्य/प्रशाखा पदा0-1 एवं 2/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/आई0टी0 प्रबंधक (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु), कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, सांस्कृतिक कार्य।